कम्प्यूटर द्वारा जारी लाभपात्र पहचान कोड नं० .....

48490—S.J.&E.—Item No. 2—H.G.P., Chd.

# सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा

## विधवा/निराश्रित पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

फोटो

जिला ..... खण्ड/शहर..... ग्राम/वार्ड..... आवेदन तिथि .....

1. प्राथी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. जन्म-तिथि (जन्म प्रमाण-पत्र) ..... आयु .....
4. पूर्ण स्थाई पता .....
   .....
5. गरीबी रेखा सूचि संख्या .....
6. क्या प्रार्थीया हरियाणा राज्य की अधिवासी है ? हां नहीं
7. क्या प्रार्थीया अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है ? हां नहीं
8. क्या प्रार्थीया पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित है ? हां नहीं
9. यदि विधवा है, तो पति की मृत्यु तिथि .....
   (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न करे)
10. यदि बेसहारा महिला है, तो बेसहारा होने का कारण .....
    (यदि जगह कम है, तो अलग पन्ने पर विस्तृत विवरण दें)
11. क्या आवेदक किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/स्थानीय निकाय/बोर्ड/निगम/ या किसी उद्यम में नौकरी कर कर रही हैं या सेवानिवृत्त हुई है ? हां नहीं
    यदि हां, तो पूर्ण विवरण दें। .....
12. क्या आवेदक किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/स्थानीय निकाय/बोर्ड/निगम/संगठन/कम्पनी, जिसमें किसी भी सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा वित्तीय निवेश/सहायता प्रदान की जाती है, से आय/पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही है ? हां नहीं
13. यदि आवेदक विधवा है, तो स्वयं की सभी साधनों से वार्षिक आमदनी। (इसमें वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली पेंशन, पी० एफ० पर मिलने वाला ब्याज आदि भी शामिल है) .....
14. यदि आवेदक बेसहारा महिला है, तो परिवार के सभी सदस्यों की सभी साधनों से वार्षिक आमदनी। .....

* आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

**<u>शपथ</u>**

मैं, श्रीमति/कु० .....पुत्री/पत्नी /श्री.....
निवासी .....
सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास अनुसार ठीक एवं सत्य है। यदि मेरा पुर्न विवाह हुआ (विधवा के लिये) तो, मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी को तुरन्त सूचित करूंगी। उपरोक्त विवरण में से कोई भी तथ्य अगर गलत पाया जाता है, तो सरकार को मेरी सभी प्रकार की पेंशन/भत्ता बन्द करने का अधिकार होगा व 12 प्रतिशत ब्याज सहित राशि की वसूली का हक होगा।

सत्यपान (सम्बन्धित सरपंच/वार्ड पार्षद/सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा) आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम ..... पद .....

## विधवा/बेसहारा महिला पेंशन

तिथि .....

हस्ताक्षर .....
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/
सचिव, नगर निगम/नागरिक सेवा केन्द्र (CSC)
नाम .....
पद .....

नोट : पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रार्थी को नीचे रसीद देवें एवं आवेदन-पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को अग्रेषित करें अन्यथा आवेदन-पत्र कारण सहित प्रार्थी को वापिस लौटायें।

---

## जिला समाज कल्याण अधिकारी

स्वीकृत  अस्वीकृत

तिथि .....

हस्ताक्षर .....

---

**आवेदन-पत्र प्राप्ति रसीद**  **क्रमांक** ..... **दिनांक** .....

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पिता/पत्नी ..... निवासी .....
..... से दिनांक ..... को विधवा/बेसहारा पेंशन हेतु फार्म प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर .....
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी/
सचिव, नगर निगम/नागरिक सेवा केन्द्र (CSC)
नाम .....
पद .....